न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्वप्रार्थना पत्र संख्या 02 / 132ए / 2016

वउनवान

1. इन्द्रेश कुमार पुत्र श्री जयलाल जाति मीना निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर।

_____ सायल

बनाम

1. जयलाल पुत्र बाल्याराम जाति मीना निवासी रोनीजाथान
2. दिनेश पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी रोनीजाथान
3. राकेश पुत्र जयलाल जाति मीना निवासी रोनीजाथान
4. भूरा पुत्र बाल्याराम जाति मीना निवासी रोनीजाथान
5. उप पंजीयक भनोखर तहसील कठमर कठूमर

_____ गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री राधेश्याम चौधरी– अधिवक्ता सायल की ओर से

श्री सुभाशचन्द शर्मा – अधिवक्ता गैरसायलान

आदेश

दिनांक 13.11..2021

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1154, 1156, 1158, 1162, 1368, 1369, 1370, 1445, 1467 किता 9 रकवा 3.18 हे. ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है।सायलान एंव गैरसायला सं0 1 ला0 4 एक ही परिवार के सदस्य है। गैरसायल सं0 1 गैरसायल सं0 2 ला03 का पिता तथा गैरसायल सं0 4 सायल का चाचा है। आराजी मुतनाजा में गैरसायल सं0 1 जयलाल का 1/3 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा रामकरण का

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

तथा 1/3 हिस्सा गैरसायल सं0 4 भूरा को हक त्याग कर दिया। इस प्रकार विवादित आराजी में भूरा का 2/3 हिस्सा है। उपरोक्त विवादित आराजी गैरसायलान सं0 1 जयलाल एंव गैरसायल सं0 4 भूरा तथा रामकरण को अपने पिता यानि सायल के बाबा बाल्या से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमें सायल को जन्म से ही यानि बाई बरथ हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। सायल विवादित आराजी में अपने 1/12 हिस्सा पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इस वजह से सायल आराजी मुतनाजा में गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज आराजीयात में से 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। गैरसायल सं0 4 भूरा जा कि सायलका सगा चाचा है जो विना शादी शुदा है वह भी सायल के पास रहता है तथा सालिम आराजी को हम ही काश्त करते है किसी का भी हिस्सा वंटा हुआ नहीं है। गैरसायलान आपस में सायल के खिलाफ मिले हुये है जो सायल को उसकी पैत्रिक सम्पत्ति संम्पत्ति से बंचित रखना चाहते है इस वजह से गेरसायलान सायल को विवादित आराजी से जवरन वेदखल करना चाहते है। गैरसायलान ने सायल को खुले आम धमकी दी है कि हम आराजी मुतनाजा पर तुम्हें शाांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगे जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करेगें या हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकंदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित आराजी विवादित नहीं है। उक्त आराजी गैरसायल सं0 1 की पैदा कर्दा गैरसायल जयलाल के तीन पुत्र व एक पुत्री है। सायल ने जयलाल की पुत्री को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। सायल व सायल की पत्नी राजकीय सेवा में है जो ना तो गैरसायलान को

उपखण्ड अधिकारी
कैथून (अलवर)

कर्जा देते है और ना कर्जा को चुकाते है। जो काफी समय से गांव रोनीजाथान नहीं आये। सायल ने उक्त कभी का त नहीं की। उक्त आराजी पर गैरसायलान ही काविज रहकर काश्त करते है। इस आराजी की पैदावार से कर्जा चुका रहे है तथा बहन वेटियों का शात पेज आदि अदा कर रहे है। उक्त आराजी के अलावा हम गैरसायलान के पास और कोई आय का साधन नहीं है। सायल का उक्त आराजी में 1/12 हिस्सा नहीं है। सायल का गैरसायल सं0 4 भूरा की आराजी से कोई बास्ता नहीं है। सायल व सायल की पत्नी वाहर रहते है जिनका उक्त आराजी से किसी तरह का बास्ता नहीं है। सायल पैरा सं0 2 में वर्णित आराजी में किसी तरह की खातेदारी प्राप्त करने काश्मु तहक नहीं है। उक्त आराजी गैरसायल सं0 1 की स्वंय की पैदा कर्दा आराजी है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। गैरसायल उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसे उक्त आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में छाया प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 व जमाबन्दी संवत् 2028 वाके ग्राम रोनीजाथान की पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

4. प्रथम दृश्टा केस
5. सुविधा का सन्तुलन -
6. ना पूर्ति होने वाली क्षति

वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी गई। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल के बाबा बाल्या की पैदा कर्दा आराजी है। बाल्या से ही उक्त आराजी उसके तीन पुत्र रामकरण, जयलाल व भूरा को बहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी सायल के बाबा बाल्या की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है जिसमें सायल को जन्म से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हक हिस्सा व अधिकार प्राप्त हो चुके है। सायल का उक्त आराजी में 1/12 हिस्सा है। हाल जमाबन्दी में गैरसायल सं0 1 का नाम दर्ज रहने से सायल के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। जिस इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान उक्त आराजी से सायल को उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करना चाहते है तथा दीगर लोगों को रहन बय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी से सायल का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है ना कब्जा है बल्कि सायल व सायल की पत्नी राजकीय सेवा में है जो गांव रोनीजाथान नहीं रहते नौकरी पर रहते है। गैरसायलान ही उक्त आराजी पर काश्त करते है तथा पैदावार से ही बहन वेटियों के भात पेज भरते है तथा कर्जा चुका रहे है। सायल ना तो वहन वेटियों का भात पेज देता है और ना कर्जा चुकवा रहा है। उक्त आराजी पैत्रिक न होकर गैरसायल सं0 1 की पैदा कर्दा आराजी है। सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता सायल की वहस पर मनन किया। सायल ने उक्त आराजी बाबा बाल्या की पैदा कर्दा आराजी होनातथा उक्त आराजी के 1/12 हिस्सा पर कब्जा काश्त होना कथन किया है। लेकिन हाल राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। सायल का विवादित आराजी के 1/12 हिस्सा पर कब्जा है या नहीं जमीन पैत्रिक है या स्वअर्जित ये तथ्य तो मूल वाद में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किये जावेगें। हाल राजस्व रेकार्ड में गैरसायल सं0 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है यदि गैरसायलानको पाबन्द कर दिया गया तो उन्हेंनुकशान व क्षति होना संभव है। सायल को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है सावित करने में असफल रहा है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित ना होकर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

गैरसायलान के पक्ष में सावित है। इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 03.10.2016 वैकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र कैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 13.11.2021 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)